10.	Solar Photovoltic Systems	
	a. Domestic Lighting Systems	50% of ex-works cost subject to a maximum of Rs. 6,000 per system (Rs. 200 per system as service charges)
	b. Street Lighting Systems	50% of ex-works cost subject to a maximum of Rs. 12,000 per system
	c. PV Power Plants	50% of ex-work cost subject to a maximum of Rs. 2 lakhs per KW
	d. Solar Lanterns	Rs. 1,500 per lantern (Rs. 100 service charges)
	e. SPV Pumps	Rs. 125 per peak watt subject to a maximum of Rs. 1,50,000 and loan in the range of Rs. 50,000 to 1,00,000.
11.	Wind Pumps	Rs. 18,000—22,000 per wind mill depending on design of wind mill.
12.	Wind Battery Chargers	80% of ex-works cost
13.	Energy from Urban and Industrail wastes	Interest subsidy upto a maximum of 4.5 on loans for the project subject to a maximum of Rs. 50 lakhs/ MW. Investment subsidy of 20% of the equity contribution by the promoters subject to a maximum of Rs. 70 lakhs per porject.
14.	Biomass Briquetting	Interest subsidy of 10% on loans for briquetting plants.

Unauthorised Construction of Houses

2067. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of houses collapsed and a number of people died in Delhi during the current year;

(b) if so, whether it was found on enquiry that these houses were unauthorised constructions;

(c) if so, what action Government have taken against those responsible for unauthorised construction of those houses; and

(d) what measures are being taken to stop unauthorised construction of houses on Government land?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b): M.C.D. has reported that 8 houses under its jurisdiction collapsed and the number of casualties was 44. Only 4 houses involved unauthorised constructions and the collapse of the remaining houses was due to the blast of cylinder and heavy rains.

(c) Action under section 332/461, 460-A and 345-A of the D.M.C. Act., as well as demolition action is taken against the offender who carried out unauthorised construction.

(d) NDMC has reported that notices are served in the case of unauthorised constructions and action as per N.D.M.C. Act., 1994 is taken. So far as DDA is concerned, the respective wings with whom the land vests have been made responsible for strict watch and ward and necessary action is taken from time to time to remove/stop the unathorised constructions. M.C.D. has informed that whenever any such case comes to their notice, immediate action for demolition of the same is taken under various sec-

tions of D.M.C. Act. with the help of the police.

गुजरात में विद्युत क्षेत्र में विदेशी और गैर-सरकारी निवेश हेतु मानदंड

2068. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु विदेशी और गैर-सरकारी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) यह विद्युत संयंत्र कहां स्थापित होगा और इनका निर्माण कार्य पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के मध्य तीव्रता के बढ़ते हुए अंतर को समाप्त करने में केन्द्रीय-राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने की एक नीति 1991 में गठित की गई थी तथा इस समय यह क्रियान्वयनाधीन है। यह नीति गुजरात में आरंभ होने वाली परियोजनाओं पर भी समान रूप से लागू है। नीति के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड इस प्रकार से हैं:—

*निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती हैं।

*सभी निजी कंपनियों को जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगी इनको ऋण इक्विटी का अनुपात 4:1 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

*प्रवर्तकों का अंप्रदान कम से कम समग्र परिव्यय का 11 प्रतिशत होना चाहिए।

*इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय की कम से कम 60% राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिए।

*विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

*परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास की दरें को उदार बनाया गया है।

*टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी 16% तक के लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी।

*68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है। इस संयंत्र भार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।

(ख) अभी तक, उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग आठ परियोजनाओं (समझौता ज्ञापन आशय पत्र इत्यादि के माध्यम के मामले में 100 करोड़ रुपये, तथा बोली माध्यम के मामले में 1000 करोड़ रुपये के अधिक की लागत वाली) को गुजरात में निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यह निम्नवत है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	बड़ौदा सीसीजीटी	167 मे०वा०
2.	हजीरा सीसीपीपी	515 मे०वा०
3.	जामनगर	2×250 मे०वा०
4.	पशुधन जीवीपीपी	655 मे०वा०
5.	सूरत लिग्नाइट	2×125 मे०वा०
6.	घोघा	3×125 मे०वा०
7.	पिपावाव	1×615 मे०वा०
8.	पिपावाव कोस्टल टीपीपी	2×500 मे०वा०

*उपरोक्त परियोजना के पूरा होने का समय, परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां/निवेश प्राप्त होने, वित्तीय समापन होने तथा निर्माण आरंभ होने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा।

Clearance of Upper Kolab and Upper Bhadrawah Hydro-Electric Projects

2069. SHRI BAHGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the year in which the Upper Kolab and Upper Bhadrawah Hydro-electric projects got clearance from the Planning Commission; and

(b) the details of progress made since then in the completion of those project?